

## कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी चित्रकूट

पत्रांक : मु0चि0अ0/एन0टी0सी0पी0/वे0ला0/2021-22/

दिनांक :

सेवा में,

अधिशायी अधिकारी,

नगर पालिका कर्वी चित्रकूट।

पत्रांक : मु0चि0अ0/जि0तम्बाकू प्रकोष्ठ/2020-21/3849 दिनांक 23/6/21

विषय : जनपद में तम्बाकू पान-मसाला की दुकानों पर गैर तम्बाकू उत्पादों (जैसे-बिस्कुट, चिप्स, कोल्ड ड्रिग आदि) की बिक्री पर रोक एवं तम्बाकू उत्पादों की बिक्री के लिये Vendor Licensing की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 रा0तम्बाकू प्रकोष्ठ/2021-22/8927 दिनांक 14.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से डा0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास अनुभाग-9 उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-1080/नौ-9-21-121ज/20 दिनांक 08 जून 2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, (पत्र की छायाप्रति संलग्न) जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन-1950) की धारा-437, धारा-438 की उपधारा (1) के खण्ड (घ), धारा-452 और धारा-541 के खण्ड (20), (41) और (49) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और वाणिज्य कर उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम-2003 (सी0ओ0टी0पी0ए0-2003) के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जनपदों को नगर पालिका के सभी क्षेत्रों में Vendor Licensing व्यवस्था किये जाने के निर्देश प्राप्त है।

उक्त निर्देशों के अनुपालन तथा जनपद में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु कृपया जनपद में तम्बाकू पान-मसाला की दुकानों पर गैर तम्बाकू उत्पादों (जैसे टॉफी, बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिग आदि) की बिक्री पर रोक एवं तम्बाकू उत्पादों की बिक्री के लिये दुकानों की Vendor Licensing व्यवस्था हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
चित्रकूट

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार-

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा अनुभाग-7 उ0प्र0 शासन।
2. मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ।
3. जिलाधिकारी चित्रकूट।
4. राज्य नोडल अधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उ0प्र0 स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
5. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी एन0सी0डी0 चित्रकूट।
6. अधिशायी निदेशक यू0पी0वी0एच0ए0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आप जनपद चित्रकूट में लाइसेंसिंग प्रणाली लागू किये जाने के लिये तकनीकी सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
चित्रकूट